

No. 24/264/2014 – Public  
Government of India  
Ministry of Home Affairs  
Public Section

\*\*\*

New Delhi, dated 15 July, 2014.

**OFFICE MEMORANDUM**

Subject : Seeking information under RTI Act, 2005 – regarding.

Enclosed herewith, a copy of RTI application 2.6.2014 received through PP Division, MHA (received in Public Section on 10.7.2014), on the above subject.

2. The information sought in point No. 1 to 4 of your application is not concerned with the undersigned. The subject matter is concerned with President Secretariat. A copy of application is being forward to President's Secretariat, Rashtrapati Bhavan, New Delhi under section 6(3) of the RTI Act, 2005 with the request to furnish the requisite information directly to the applicant.

3. Appeal if any, may be made under Section 19(1) of the RTI Act to Shri Satpal Chouhan, Joint Secretary (Admn), Room No. 194, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi-110001, the Appellate Authority, within 30 days.

*Mshyamalg*  
(Shyamala Mohan)  
Director & CPIO

To

Shri Saurabh Vijay,  
CPIO, President's Secretariat,  
Rashtrapati Bhvan, New Delhi.

Copy to :

Shri Pawan Tiwari, Agrawal Mandi Tatiri, Distt – Bagpat, Uttar Pradesh – PIN : 250 601. You are advised to contact the above mentioned public authority for further information in the mater.

*Mshyamalg*  
(Shyamala Mohan)  
Director & CPIO

**Copy alongwith a copy of above mentioned RTI application to :** Section Officer (IT Cell), MHA, North Block, New Delhi. It is requested to upload the same on the MHA Website.

SO No. 1(R)  
C.R. - 30702 of Dto (Adv) / 14

24/264/2014 - Public

10/02

**By Speed Post**  
**RTI MATTER**  
**(To be issued in Hindi)**

No. VI.23014/94/2014-VS  
Government of India  
Ministry of Home Affairs  
(PP Division)

NDCC-II Building, 3<sup>rd</sup> Floor,  
Jai Singh Road,  
New Delhi-110001, dated: 9<sup>th</sup> July, 2014

✓ To

Shri Pawan Tiwari,  
Agrawal Mandi Tatiri,  
Distt.-Bagpat,  
Pin-250601(U.P.).

**Subject:- Application under the RTI Act-2005-reg.**

\*\*\*


Sir.


Please refer to your RTI application dated 02.06.2014 received in this unit on transfer on 27.06.2014 for furnishing information in respect of points (1) to (4) of your application.

2. In this regard, it is stated that as regards the expenditure incurred on swearing in ceremony including expenditure on security arrangements is concerned, this unit has no information to furnish and the same may be treated as 'Nil'. However, a copy of your application is being transferred under Section 6(3) of the RTI Act-2005 to CPIO, Ministry of Defence, Cabinet Sectt., Ministry of Urban Development, Delhi Police, CS Division, P-II Division and Public Section of MHA for providing information if any available with them, directly to you.

3. An appeal if any, against this reply may be made within 30 days to Shri Sailesh, Joint Secretary (PP & VS) & Appellate Authority, Ministry of Home Affairs, 3<sup>rd</sup> Floor, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi-110001.

Yours faithfully,

  
(Girish Kumar)  
Director (VS) & CPIO  
Tele:23438120  
Fax:23438077

  
10/7

✓ 10/7 (P)

11/07

ms - Rao

Copy to:

- (i) Shri B.B. Bhardwaj, Under Secretary(RTI), Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi alongwith a copy of RTI application of Shri Pawan Tiwari.
- (ii) Director(Works) & CPIO, Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, Room No.313-C, New Delhi alongwith a copy of RTI application of Shri Pawan Tiwari.
- (iii) Shri A.K. Ghosh, Under Secretary D(Parl/ CR/Wel), Ministry of Defence, South Block, New Delhi alongwith a copy of RTI application of Shri Pawan Tiwari.
- (iv) ACP & CPIO, Delhi Police, Delhi Police Headquarter, MSO Building, I.P. Estate, New Delhi alongwith a copy of RTI application of Shri Pawan Tiwari.
- ✓(v) Smt. Shyamala Mohan, Director (A&V), MHA, North Block, New Delhi alongwith a copy of RTI application of Shri Pawan Tiwari.
- (vi) Shri Shantanu, Director(Pers.), P-II Division, MHA, North Block, New Delhi along with a copy of RTI application of Shri Pawan Tiwari.
- (vii) Shri K. Murlidharan, Director(CS-I), MHA, NDCC-II Building, New Delhi alongwith a copy of RTI application of Shri Pawan Tiwari.
- (viii) Shri S. Samanta, Under Secretary, RTI Cell, MHA, North Block, New Delhi w.r.t. OM No.A-43020/01/2014-RTI dated 24.06.2014.
- (ix) S.O. (IT), MHA, North Block, New Delhi alongwith a copy of RTI application of Shri Pawan Tiwari for disclosure on MHA website.

8  
10/9/14

us/p)

**पवन शिवारी**

एडवोकेट  
 एम0ए0, बी0एड0, एल0एल0बी0, टी0ई0एम0  
 सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर0टी0आई0 विशेषज्ञ  
 जिला महामंत्री युवा प्रकोष्ठ  
 अखिल भारतवर्षीय ब्राहमण महासभा  
 जिला बागपत (उ0प्र0)  
 उपाध्यक्ष-श्री अमरनाथ सेवा समिति (रजि0)  
 अग्रवाल मण्डी टटीरी जिला बागपत (उ0प्र0)

निवास - अग्रवाल मण्डी टटीरी  
 जिला बागपत (उ0प्र0)  
 पिन कोड- 250601  
 कार्यालय-जिला एवं सत्र न्यायालय,  
 परिसर बागपत,  
 उ0प्र0-250609  
 मोबाईल नं0- 09058860009

पत्रांक :- 60 / 2014

दिनांक :- 02.08.2014

सेवा में,

श्रीमान केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी / मंत्री मण्डल सचिव,  
 भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली 110001 भारत।

विषय :- "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" की धारा 6 (1) के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र एवं धारा 6 (3) के प्राविधानों में अन्तर्निहित

श्रीमानजी,

निवेदन यह है कि आवेदक को उपरोक्त अधिनियम की धारा 2 समितित धारा 3 एवं 4 के प्राविधानों के अनुसार नीचे लिखे बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराये। सूचना न देने या विलम्ब से देने की स्थिति में हुई अपील/परिवाद/वाद व्यय के हर्जे-खर्चे की पूरी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी तथा सक्षम न्यायालय द्वारा कठोर कानूनी कार्यवाही आपके विरुद्ध अमल में लायी जायेगी।

सूचना शुल्क - अंकन 10/- रु0 भारतीय पोस्टल आर्डर सं0 17 एफ- 9.11.8.25 साध में सलग्न है।

महत्वपूर्ण :- श्रीमान जी यदि प्रार्थी द्वारा नॉगी गयी सूचनाये किसी अन्य विभाग या अधिकारी द्वारा धारित है तो कृपया प्रार्थी का यह सूचना आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) द्वितीय के परन्तुक के अनुसार सूचना आवेदन प्राप्ति के 5 दिवस के अन्दर सन्बन्धित लोक प्राधिकारी को प्रेषित कर दे।

सूचना बिन्दु :-

1. यह कि लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 के चुनाव परिणाम उपरान्त श्री नरेन्द्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री उनके मंत्री मण्डल के शपथ ग्रहण समारोह में कुल कितनी धनराशि का व्यय किया गया? सूचना प्रदान करें।
2. यह कि लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 के चुनाव परिणाम उपरान्त श्री नरेन्द्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री उनके मंत्री मण्डल के शपथ ग्रहण समारोह में कुल जितनी धनराशि का व्यय किया गया? वह किस मद से किया गया सूचना प्रदान करें।
3. यह कि लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 के चुनाव परिणाम उपरान्त श्री नरेन्द्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री उनके मंत्री मण्डल के शपथ ग्रहण समारोह में कुल जितनी धनराशि का व्यय किया गया? वह किसके आदेशों पर किया गया है? सम्बन्धित आदेशों की सत्यप्रमाणित प्रतिलिपि उपरोक्त अधिनियम की धारा 2 (अ) द्वितीय समितित धारा 3 व 4 के अन्तर्गत प्रदान करें।

CPIA/SK-0  
 09/06/14

4. यह कि लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 के चुनाव परिणाम उपरान्त श्री नरेन्द्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री उनके मंत्री मण्डल के शपथ ग्रहण समारोह में कुल जितनी धनराशि का व्यय किया गया? वह किसकी सलाह मत के आधार पर किया गया है, सूचना प्रदान करें।
5. यह कि क्या लोक सभा सदस्य तथा विधान सभा सदस्य पद के निर्वाचन हेतु क्या संसद द्वारा संवैधानिक योग्यता निर्धारित करने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्री मण्डल में विचाराधीन है? सूचना प्रदान करें।
6. यह कि क्या परिचयनी उ०प्र० को अलग राज्य बनाने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्री मण्डल में विचाराधीन है? सूचना प्रदान करें।
7. यह कि क्या परिचयनी उ०प्र० में हाईकोर्ट बैंच स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्री मण्डल में विचाराधीन है? सूचना प्रदान करें।
8. यह कि लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा जागरूक मतदाता अभियान में कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी? सूचना प्रदान करें।
9. यह कि लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा जागरूक मतदाता अभियान में कुल जितनी धनराशि खर्च की गयी, यह किस-किस प्रकार की गयी? सूचना प्रदान करें।
10. यह कि लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा जागरूक मतदाता अभियान में कुल कितनी धनराशि खर्च करने हेतु किस-किस गैर सरकारी संगठन को दी गयी तथा कितनी-कितनी दी गयी? सूचना प्रदान करें।
11. यह कि क्या अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान को निरस्त करने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्री मण्डल में विचाराधीन है? सूचना प्रदान करें।
12. यह कि क्या उ०प्र० में अयोध्या में श्रीराम मन्दिर स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्री मण्डल में विचाराधीन है? सूचना प्रदान करें।
13. यह कि क्या न्यायालय विधि का निर्माण कर सकता है? सूचना प्रदान करें।
14. यह कि क्या दिल्ली-सहारनपुर वाया शामली रेलवे लाइन को डबल करने का प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्री मण्डल द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है? सूचना प्रदान करें।
15. यह कि दिल्ली-शामली रेलवे मार्ग से पिछले 5 वित्तीय वर्षों में भारतीय रेलवे को घाटा हुआ या मुनाफा हुआ? सूचना प्रदान करें।
16. यह कि कौनसा अंग्रेजाल मण्डी टटीर/म-मरुट बासुपत हाईवे रेलवे क्रॉसिंग पर ऊपरगामी संतु बनाने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्री मण्डल द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है? सूचना प्रदान करें।

सूचना विभाग (३०७०)

*[Handwritten Signature]*

14/11/14